******नेपाल सरकार**

**वन तथा वातावरण मन्त्रालय**

**राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग**

**बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय**

 **ओभरी, बाँके**

नागरिक बडापत्र

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **कार्यालयबाट पाउने सेवा सुविधा** | **लाग्ने समय** | **किसिम** | **लाग्ने दस्तुर नेपाली रुपैया** | **समयमा सेवा प्राप्त नभएमा सम्पर्क राख्ने पदाधिकारी व्यक्ति** |
| नेपाली  | सार्क | अन्य विदेशी |
| १. | निकुञ्ज प्रवेश अनुमति | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति दिन | १०० | ७५० | १५०० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| २. | हात्ती सफारी अनुमति | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति दिन | ५०० | १५०० | २५०० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ३. | सवारी साधन प्रवेश अनुमति राजमार्ग बाहेक सुविधा प्राप्त बाटोको लागि |
|  | कार, जिप, ट्रक, बस, ट्याक्टर, लरी (५ टन सम्म) को लागि | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | १०० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | मोटरसाईकल बयलगाडा र टाँगा | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | २० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | व्यवसायिक जंगल ड्राईभ अनुमति |  |  |  |
|  | कार | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | १५०० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | जीप | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | २५०० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | भ्यान | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | ३००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | सुविधा प्राप्त बाटो बाहेक अन्य बाटोको लागि मोटर इन्जिन जान भएको सवारी साधनको लागि अनुमति | १५ मिनेट | प्रति सवारी प्रति पटक | ३०० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ४. | क्याम्पिङ्ग (बास बस्ने) अनुमति | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति रात | २०० | ५०० | १००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ५. | माछा मार्ने (बल्छीले मात्र) अनुमति | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति रात | २०० | १००० | २००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ६. | खर खडाई, वनकस काट्ने अनुमति | १५ मिनेट | प्रति पुर्जी | ५० | नपाउने | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ७. | फुर्की च्याउ टिप्ने अनुमति  | १५ मिनेट | प्रति के जी | १०० | नपाउने | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| (नोट : असार एक गते देखि भदौ मसान्तसम्म संरक्षकले तोकेको क्षेत्रमा एक पटक भन्दा बढीमा सात दिन खुल्ला गर्ने गरी बर्षमा दुई पटक) |
| ८. | नदिजन्य निर्माण सामाग्रीको लागि अनुमति | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | साधारण ढुंगा | सोही दिन | प्रति घनमिटर | ३५३।२ | नपाउने | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | गिट्टी | सोही दिन | प्रति घनमिटर | ३१७।९ | नपाउने | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | वालुवा | सोही दिन | प्रति घनमिटर | २४७।२ | नपाउने | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | मस्कट, बोल्डर, ग्रावेल, सेल, कङलोमररेट | सोही दिन | प्रति घनमिटर | ३१७।९ | नपाउने | नपाउने | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| ९. | हेलिकप्टर अवतरण / Hovering समेत गर्ने अनुमति | प्रत्येक पटक | ५००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
| १०. | सिनेमा डकुमेन्ट्री छाँयाङ्कन अनुमति | सोही दिन | प्रत्येक पटक | १०००० | ५०००० | यु एस डलर १५०० बराबरको नेपाली रुपैया | प्रमुख संरक्षण अधिकृत |
|  | ड्रोनबाट सिनेमा डकुमेन्ट्री फिल्म छाँयाङ्कन गर्दा यसको अतिरिक्त थप २५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ । साथै छाँयमङ्कन टोलीका साथ विभागले एकजना सम्पर्क अधिकारी खटाउने छ । डकुम्न्ट्री बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि ड्रोनको प्रयोग गर्दा प्रचलित प्रकृया पुरा गरेपछि सिनेमा डकुमेन्ट्री फिल्म छाँयाङ्कनको लागि तोकीएको दस्तुर लाग्नेछ । |
| ११. | निकुञ्ज भित्र वा निकुञ्जको नदी नालामा पर्यटक घुमाउन डुंगा र्याफ्टीङ बोटिङ्ग चलाउने अनुमति |  |
|  | क डुंगामा घुम्ने दस्तुर | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप | २०० | १५०० | २००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत  |
|  | ख ¥ofफ्टीङ्ग | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप | २०० | २००० | ४००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत  |
|  | ग बोटिङ्ग | १५ मिनेट | प्रति व्यक्ति प्रति ट्रिप | २०० | ४००० | ८००० | प्रमुख संरक्षण अधिकृत  |